10/6/25

पत्र. मेरा इनी वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। नुंडी दावा नहीं इस हाशी कदम पेशी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्र. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:53:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner